

an>

Title: Introduction of the Chit Funds (Amendment) Bill, 2014 (*Amendment of Section 4*).

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि चिट फंड अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने का अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Chit Funds Act, 1982."

*The motion was adopted.*

**श्री अर्जुन राम मेघवाल :** महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।